अति–आवश्यक
डाक/ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

पत्र कमांकःएफ 13(9)खा.वि./आवंटन/2019 जयपुर, दिनांक : 08-08-2019

जिला रसद अधिकारी,
झालावाड (राजस्थान)

विषयः– प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने से पूर्व की योजनाओं के अवितरित गेहूं के संबंध में गठित जांच दल की रिपोर्ट बाबत।

प्रसंगः– आपका पत्र कमांक रसद/वितरण/2019/6054, दिनांक 02.07.2019 एवं पत्र कमांक रसद/स्थापना/2018/3383 दिनांक 21.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के सन्दर्भ में प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्रांक एफ 6(42)प्र.सु./अनु.3/2017 दिनांक 16.10.2017 तथा विभागीय पत्र कमांकःएफ 13(9)खा.वि./आवंटन/2017 दिनांक 02.11.2017 की प्रति संलग्न कर निर्देश दिए जाते है कि अन्नपूर्णा गेहूं के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही करें। यह भी उल्लेखनीय है कि खाद्य विभाग के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 02.11.2017 के बिन्दु संख्या 02 की द्वितीय पंक्ति में शामिल शब्द **"प्रथम समिति"** के स्थान पर **"द्वितीय समिति"** पढा जावें।

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 21.02.2018 में एसजीआरवाई योजना के 156.58 क्विंटल गेहूं के निस्तारण के संबंध में चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में लेख है कि एसजीआरवाई योजना का संबंध पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से होने के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से इस गेहूं के निस्तारण हेतु निर्देश प्राप्त करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(महेन्द्र सिंह राठौड)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपिः–

समस्त, जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक एफ 6(42)प्र.सु./अनु.3 /2017 जयपुर, दिनांकः 16.10.2017

आदेश

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने से पूर्व विभिन्न योजनाओं का गेहूं आवंटित किया जाता था। प्रायः यह संज्ञान में आया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के पश्चात पूर्व में संचालित योजनाओं का अवितरित गेहूं थोक–विक्रेताओं के पास अभी भी स्टॉक में है।

इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि माह अक्टूबर, 2013 से पूर्व में संचालित योजनाओं का अवितरित गेहूं की जांच हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाना है :–

प्रथम :– अवशेष गेहूं की जांच हेतु गठित दल के मनोनीत सदस्य –

- जिला कलक्टर अथवा उसका प्रतिनिधि।
- जिला रसद अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि।
- उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग।
- कोषालय अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि।

अवशेष गेहूं की जांच हेतु गठित कमेटी द्वारा मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर जांच करेगी –

- क्या अवशेष गेहूं मनुष्य के खाने योग्य है।
- अथवा पशुओं के खाने योग्य है।
- अन्यथा दोनो के लिए ही उपयुक्त नही है।

जांच दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यदि अवशेष गेहूं मनुष्य अथवा पशुओं के लिए उपयुक्त नही पाये जाने पर अवशेष गेहूं की आधार दर का निर्धारण करते हुए जिला कलक्टर के स्तर पर द्वितीय कमेटी का निम्नानुसार गठन कर अवशेष गेहूं का नीलाम कराया जायेगा –

द्वितीयः– अवशेष गेहूं की नीलामी हेतु जांच दल दल के मनोनीत सदस्य –

- जिला कलक्टर अथवा उसका प्रतिनिधि।
- जिला रसद अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि।
- कोषालय अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि नीलामी पश्चात नीलामी प्रक्रिया में होने वाले व्यय की राशि को नीलामी राशि में से घटाने के उपरान्त अवशेष राशि को राजस्व आय की मद में जमा करवायी जावेगी। राजस्व आय की मद संख्या का विवरण आपको पृथक से भिजवा दिया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि जिस मद में गेहूं आवंटित थी उसें किसी प्रकार का वाद/आदेश लम्बित नही हो तथा ना ही कोई योजना पर कोई दायित्व हो।

अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने से पूर्व का बकाया गेहूं के निस्तारण की कार्यवाही दो माह में आवश्यक रूप से पूर्णकर अपनी रिपोर्ट मय हस्ताक्षर (स्वयं एवं संबंधित जिला रसद अधिकारी) विभाग को उपलबध करावे।

उपरोक्त निर्देशों की पालना में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कमेटीयों का प्रशासनिक विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग होगा।

16/10/17

(डॉ. प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. निजी सहायक, उपायुक्त (द्वितीय), खाद्य विभाग, जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
7. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की छायाप्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं कोषालय अधिकारी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षा पत्रिका संदर्भ सं.प.13(09)खा.वि./आवंटन/2017.

16/10/17

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी

23/10/17

10

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(9)खा.वि./आवंटन/2017 जयपुर, दिनांक 2/11/17

जिला रसद अधिकारी,
बांसवाडा, राजस्थान।

विषयः— माह अक्टूबर, 2013 से पूर्व में संचालित योजनाओं के अवितरित गेहूं के निस्तारण के संबंध में।

प्रसंगः— 1. आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 532 दिनांक 25.10.2017 के क्रम में।
2 प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग, एफ 6(42)प्र.सु./अनु.3/17 दिनांक 16.10.2017।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने से पूर्व में संचालित विभिन्न योजनाओं का अवितरित गेहूं के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. यदि अवशेष गेहूं मानव/पशुओं के खाने योग्य है, तो उसे बाजार दर पर विक्रय कर राशि राजकोष में जमा कराई जावें।
2. यदि अवशेष गेहूं बाजार दर पर विक्रय नही होने की स्थिति में आदेश दिनांक 16.10.2017 द्वारा गठित प्रथम समिति द्वारा निर्धारित दर पर विक्रय कर राशि राजकोष में जमा कराई जावें।

शेष निस्तारण की प्रक्रिया आदेश दिनांक 16.10.2017 के अनुसार यथावत रहेगी।

(प्रीति माथुर)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपि :– समस्त जिला रसद अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव